उपखण्ड अधिकारी सांगोद

—:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—
बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0 06/2019

बउनवान

चैनसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —वादी—

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. तंवरबाई पुत्री राजेन्द्रसिंह पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढीकरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राजस्थान
3. प्रकाशबाई पुत्री राजेन्द्रसिंह पत्नी भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सुनारिया तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र करण सिंह जाति राजपूत निवासीग्राम रोलाना तहसील सागोद जिला कोटा राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 एल आर एक्ट

उपस्थितिः—
वादी की ओर से:— श्री बहादुर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीन01ता4 की ओर से :— जितेन्द्र कुमार सुमन एडवोकेट
प्रतिवादीन05 की ओर से :— पैरोकार सरकार

—:: **निर्णय** ::— दिनांकः— 1-2-2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि वादी ने उक्त उनवान का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि वादी व प्रतिवादी न01ता3 के पिता व प्रतिवादीन04 राजेन्द्र जी के खाते व कब्जे काश्त की पुश्तेनी आराजीयात माल ग्राम रोलाना पटवार हल्का विनोद खुर्द तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 152 के खसरा न0 519 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 520 की 3.73हेक्टर कुल 2 किता की 3.74हेक्टर आराजी व खाता स0 नई 151 के खसरा न0 523 की 0.97हेक्टर, खसरा न0524 की 0.59हेक्टर कुल 2 किता की 1.56हेक्टर आराजी स्थित है, जो वर्तमान मे प्रतिवादीन04 के नाम से ही राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की हुई है। उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादीन04 को वादी के दादाजी स्व0 श्री करण सिंह जी से

2....

1

उत्तराधिकार मे प्राप्त आराजी है, वादी व प्रतिवादीन01ता3 की पैतृक पुश्तेनी आराजी है, वादी व प्रतिवादीन01ता3 प्रतिवादी न04 की सन्तान है, जिससे वादी व प्रतिवादीन01ता3 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक व हिस्सा प्राप्त हुआ है। जिसकी वादी व प्रतिवादी न01ता3 का वादग्रस्त आराजी मे बांट बराबर का हक व हिस्सा होने से प्रतिवादी न04 के साथ प्रत्येक का 1/5–1/5हिस्सा अपने हक मे घोषणा करवाने के अधिकारी है।वादी को उक्त पुश्तेनी हक व हिस्से की आराजी के राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीन04 का नाम दर्ज होने से वादी व प्रतिवादीन01ता3 को विकास कार्य करवाने मे काफी परेशानी होती है, तथा कृषि ऋण आदि प्राप्त करने मे भी बाधा आ रही है, तथा वादी द्वारा प्रतिवादी न04 से तहसील कार्यालय मे चलकर पुश्तेनी हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने की कहने पर प्रतिवादी द्वारा मना कर देने से माननीय न्यायालय मे वाद पेश करना आवश्यक होने से वाद प्रस्तुत किया है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, व प्रतिवादीगण की तलबी की गई। जिसमे प्रतिवादीन01ता4 द्वारा उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया, और वादी का वाद स्वीकार करते हुए बंटवारा करने मे अपनी सहमति प्रदान की गई। जिससे प्रतिवादीन05 पैरोकार सरकार फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही रही है।

पत्रावली को बहस वादी मे नियत की गई, जिस पर वकील वादी द्वारा अपनी बहस मे वाद के बिन्दुओ को दौहराया गया, तथा बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर हम वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है, कि माल ग्राम रोलाना पटवार हल्का विनोद खुर्द तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 152 के खसरा न0. 519 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 520 की 3.73हेक्टर कुल 2 किता की 3.74 हेक्टर आराजी व खाता स0 नई 151 के खसरा न0 523 की 0.97हेक्टर, खसरा न0524 की 0.59हेक्टर कुल 2 किता की 1.56हेक्टर आराजीयात वादी व प्रतिवादीकम 1ता3 की पुश्तेनी सम्पत्ति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हक व हिस्से की आराजी होने से वादी व प्रतिवादी कम 1ता3 को प्रतिवादीन04 के साथ बांट बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/5–1/5हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, और उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

आदेश प्रदान दिये जाते है। नियमानुसार डिकी पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेश डागा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 1/2/2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला कोटा

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6—7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा(आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसल न0 06/2019
तारीख दायरा:— 20/5/2019

बउनवान

चैनसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—वादी—

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. तंवरबाई पुत्री राजेन्द्रसिंह पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढीकरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राजस्थान
3. प्रकाशबाई पुत्री राजेन्द्रसिंह पत्नी भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सुनारिया तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र करण सिंह जाति राजपूत निवासीग्राम रोलाना तहसील सागोद जिला कोटा राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 एल आर एक्ट

दिनांकः— 1/2/2023

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी श्री बहादुर सिंह एडवोकेट वकील वादी एवं प्रतिवादीन01ता4 श्री जितेन्द्रसुमन एडवोकेट, प्रतिवादी न05 पैरोकार सरकार मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री .... मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है किः— वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है, कि माल ग्राम रोलाना पटवार हल्का विनोद खुर्द तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 152 के खसरा न0 519 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 520 की 3.73हेक्टर कुल 2 किता की 3.74 हेक्टर आराजी व खाता स0 नई 151 के खसरा न0 523 की 0.97हेक्टर, खसरा न0524 की 0.59हेक्टर कुल 2 किता की 1.56हेक्टर आराजीयात वादी व प्रतिवादीकम 1ता3 की पुश्तेनी सम्पत्ति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हक व हिस्से की आराजी होने से वादी व प्रतिवादी कम 1ता3

2.......

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

को प्रतिवादीन04 के साथ बांट बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/5–1/5हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, और उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान दिये जाते है।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
आर. ए. एस.
साँगोद, जिला- कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद